न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/351

मिसल नम्बर– 107/2024

मूर्ति श्री काल भैरूजी विराजमान नान्ता जिला कोटा जर्ये पुजारी लटूरनाथ योगी पुत्र श्री भंवरनाथ योगी आयु 65 वर्ष जाति नाथ निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादी

बनाम

रामदास चैला महन्त श्री ज्ञानदास निवासी रघुनाथ जी का मंदिर कुंडिया स्थल चम्बल कॉलोनी सकतपुरा कोटा

प्रतिवादी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत्)

दिंनाकः 8/9/2025

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1.श्री महेश योगी अधिवक्ता वादी।

2.श्री योगेन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता प्रतिवादी

वादी की ओर से न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि मन्दिर मूर्ति श्री कालभैरू जी स्थान ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। मन्दिर मूर्ति की खातेदारी की आराजी खाता संख्या–149 पुराना 145 तथा खाता संख्या नया–74 व पुराना–69 दो खातो की कूल 6 किता की आराजी 8.52 हैक्टयर है, जो वाकै ग्राम रामनगर पटवार हल्का बडगांव भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सकतपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। खाता संख्या नया–74 व पुराना सख्या–69 के खसरा नम्बर–231 की रकबा 0.66 हैक्टयर की लगभग 3 बीघा कृषि आराजी पर जबरन प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसको बेदखल करवाये जाने का अधिकार वादी को प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर–234 की रकबा 0.3000 है०, खसरा नम्बर–293 की रकबा 0.0600 हैं0, खसरा नम्बर–294 की रकबा 0.0500 है० कुल किता तीन की 0.4100 हैक्टयर आराजी पर कब्जा किया हुआ था। जिसके सम्बंध में पृथक से बेदखली का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा है और जानबूझकर दावे में विलम्ब करने व अनर्गल वाद विवाद की पेचीदगियो में उलझाते हुऐ प्रकरण को हमेशा लम्बा करने की चाहत रही, तत्पश्चात वादी मन्दिर मूर्ति की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु

प्रस्तुत किया गया उक्त रिसीवर प्रार्थना–पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार लाडपुरा कोटा को रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश दिनांक–26–08–2024 को मिसल नम्बर–138/2022 में पारित किया गया हुआ है, उक्त आदेश की पालना में भूमि रिसीवर के अन्तर्गत आ चुकी है, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट व पूर्व के वाद में आई साक्ष्य तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि मन्दिर मूर्ति की खसरा नम्बर –231 की लगभग 3 बीघा आराजी पर प्रतिवादी का अनाधिकृत कब्जा है। मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, उसके हितो की रक्षा किया जाना आवश्यक है, जर्ये पुजारी मन्दिर मूर्ति के हितार्थ उक्त वाद प्रस्तुत कर कब्जे शुदा आराजी से प्रतिवादी को बेदखल करवाये जाने का कानूनन अधिकार वादी को प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध खाता सख्या नया–74 व पुराना संख्या–69 के खसरा नम्बर–231 की रकबा 0.66 हैक्टयर वाकै ग्राम रामनगर पटवार हल्का बडगाव भू० अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सकतपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी में से लगभग 3 बीघा कृषि आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी पारित फरमाई जावे।

<u>प्रतिवादी द्वारा 07 R 11 CPC के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि</u> वादी द्वारा माननीय न्यायालय में खसरा नम्बर 234 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.05 है0, कुल 3 किता की रकबा 0.41 है0 आराजी एवं खसरा नम्बर 231 रकबा 0.66 है0, वाके ग्राम रामनगर, पटवार हल्का बडगांव उर्फ नान्दना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के सम्बन्ध में वाद पेश किया है, जिसमें प्रार्थी (प्रतिवादी) निवेदन करता है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 138/2022 में दिनांक 26–08–2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है। जो कि वर्तमान में उक्त आराजी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 26–12–2024 से प्रार्थी (प्रतिवादी) का कब्जा काश्त मानते हुये कब्जे के आधार पर नकद प्रतिभूति शशि के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) को सम्भलाई हुई है, तथा इस समय आराजी पर उक्त नकद प्रतिभूति राशि तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा नियमानुसार तय की गई है, जो प्रार्थी (प्रतिवादी) समय–समय पर जमा करवा रहा है। इस प्रकार पूर्व में समान खसरा नम्बर, समान पक्षकारान के मध्य प्रार्थनापत्र निर्णित हो चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त प्रार्थनापत्र में न्याय के सिद्धान्त रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है, तथा खसरा नम्बर 231 जो कि वर्तमान में वादी के ही खाते दर्ज है, तथा किस्म गैर मुमकिन ड्रेनेज (नाला) दर्ज है, जिसमें कि बरसात का पानी निकासी होता है, उक्त खसरा नम्बर से प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी

(प्रतिवादी) का कोई लेना देना नहीं है। झूंठा वाद पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रार्थी (प्रतिवादी) को व्यक्तिगत हैसियत से पक्षकार बनाया गया है, जबकि प्रार्थी (प्रतिवादी) मूर्ति मन्दिर बालाजी खेल भराई का पुजारी एवं सेवक है। इस आधार पर भी उक्त वाद मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकार वादी द्वारा मनगढन्त, बनावटी एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो उक्त कानूनी बिन्दुओं के आधार पर मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद को रेसज्यूड़िकेटा के सिद्धान्त पर मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाये जाने की अनुकम्पा करे।

वादी द्वारा उक्त के संबंध मे निम्न जवाब पेश किया गया हैः– प्रार्थना–पत्र संख्या–138/2022 दिनांक– 26–8–2024 को जो निर्णय होना बताया है, वह रिसीवरी का प्रार्थना–पत्र है जिसका वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है। श्रीमान के समक्ष जो वाद संख्या–107/2024 प्रस्तुत किया हुआ है, उससे पूर्व के वाद व प्रार्थना– पत्र का कोई लेना–देना नही है। दोनो के खसरा नम्बरान भिन्न है, जिस प्रतिभूति राशि का अंकन किया गया है, उक्त खसरा नम्बर का उसमें कोई हवाला नही है, रेस जूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी में कृषि कार्य होता है, जो तहसील कार्यालय की मौका रिपोर्ट तथा खसरा गिरदावरी दर्शाती है और यह भी दर्शाती है कि उक्त आराजी पर प्रतिपक्षी द्वारा कब्जा किया हुआ है। यदि प्रार्थी यह कथन प्रार्थना–पत्र में अंकित कर रहा है कि उसका उक्त खसरा नम्बर से कोई लेना–देना नही है तो माननीय न्यायालय को वाद डिक्री करने में तथा प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर भूमि रिसीवरी करने में और आसानी होगी। पूर्व के विचाराधीन वाद में प्रतिपक्षी पक्षकार रहा है। यहां पर व्यक्तिगत हैसियत से जमीन पर कब्जा करने बाबत वाद व प्रार्थना – पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्णतया माननीय न्यायालय में मेन्टेनेबल नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कथन किया गया है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 138/2022 में दिनांक 26–08–2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इस प्रकार पूर्व में समान खसरा नम्बर, समान पक्षकारान के मध्य प्रार्थनापत्र निर्णित हो चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त प्रार्थनापत्र में न्याय के सिद्धान्त रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। जब हम वादी की ओर से प्रस्तुत

वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र संख्या 138/2022 में पारित निर्णय दिनांक 26–08–2024 की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण ग्राम रामनगर पटवार हल्का बडगाव भू० अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सकतपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित भूमि खाता सख्या नया–74 व पुराना संख्या–69 के खसरा नम्बर–231 की रकबा 0.66 हैक्टयर की आराजी में से लगभग 3 बीघा कृषि आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने हेतु पेश किया है तथा प्रकरण संख्या 138/2022 रिसीवरी का प्रार्थना पत्र है जिसका वाद वर्तमान में जैरकार है एव उक्त वाद खसरा नम्बर–234 की रकबा 0.3000 है०, खसरा नम्बर–293 की रकबा 0.0600 हैं0, खसरा नम्बर–294 की रकबा 0.0500 है० कुल किता तीन की 0.4100 हैक्टयर आराजी से प्रतिवादी की बेदखली हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत कर रखा है। हस्तगत वाद एवं पूर्व जैरकार वाद भिन्न भिन्न खसरा नम्बरान से सम्बंधित है जिस कारण से हस्तगत वाद पर रेसजूडिकेटा का सिद्धांत लागू नही होता है। प्रतिवादी का यह भी कथन रहा है कि खसरा नम्बर 231 वर्तमान में वादी के ही खाते दर्ज है, तथा किस्म गैर मुमकिन ड्रेनेज (नाला) दर्ज है, जिसमें बरसात के पानी का निकास होता है, उक्त खसरा नम्बर से प्रार्थी (प्रतिवादी) का कोई लेना देना नहीं है। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 231 में कृषि कार्य होता है तथा खसरा गिरदावरी यह भी दर्शाती है कि उक्त आराजी पर प्रतिपक्षी द्वारा कब्जा किया हुआ है। जिस कारण से प्रतिवादी द्वारा किया गया तर्क माने जाने योग्य नही है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा जो भी अन्य आपत्तियॉ उठाई गई है वे आपत्तियॉ प्रतिवादी की प्रतिरक्षा है जिनके आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज नही किया जा सकता। प्रतिवादी अपनी उक्त आपत्तियॉ व प्रतिरक्षा को अपने जवाबदावें में उठाने हेतु स्वतंत्र है जिनपर तनकीयात कायम कर साक्ष्य आदि लिए जाकर समुचित न्याय निस्तारण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किए जाने योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 15/9/25 को पेश हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा